रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11082026-275367
CG-DL-E-11082026-275367

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 224] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 10, 2026/श्रावण 19, 1948
No. 224] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 10, 2026/SHRAVAN 19, 1948

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2026

फा. सं. सी-I-43012/8/2026-रसा.II-सीपीसी.— रसायन पार्कों की स्थापना हेतु, भारत सरकार, **"भारत औद्योगिक विकास योजना – रसायन (भव्य रसायन)"** योजना की घोषणा करती है।

1. पृष्ठभूमि: भारतीय रसायन एवं पेट्रोरसायन क्षेत्र अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह ऑटोमोबाइल, वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स, निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि जैसे विभिन्न डाउनस्ट्रीम उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चा माल और इनपुट प्रदान करता है। इस उद्योग के विकास के लिए, समन्वित नीतिगत समर्थन और साझा औद्योगिक अवसंरचना के निर्माण के माध्यम से स्केल, अवसंरचना, विनिर्माण दक्षता और लागत प्रतिस्पर्धात्मकता से संबंधित चुनौतियों का समाधान करना महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में, भारत सरकार ने चैलेंज रूट के माध्यम से तीन समर्पित रसायन पार्कों की स्थापना हेतु भव्य रसायन योजना को 24 जुलाई, 2026 को अनुमोदन प्रदान किया है।

2. उद्देश्य: भव्य रसायन योजना बढ़ती घरेलू और डाउनस्ट्रीम मांग के अनुरूप घरेलू उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाएगी, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को प्राप्त करने में मदद करेगी, लागत प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगी, आयात में कमी लाएगी, निर्यात

में वृद्धि करेगी, घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करेगी और रासायनिक मूल्य श्रृंखला में रोजगार सृजित करेगी। इस प्रकार ये 2047 तक 'विकसित भारत' के निर्माण में योगदान देगी।

3. योजना का प्रारंभ और अवधि: यह योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए ₹3,030 करोड़ के परिव्यय के साथ संचालित होगी।

4. योजना का कार्यक्षेत्र: भव्य रसायन योजना के अंतर्गत, तीन समर्पित ग्रीनफील्ड रसायन पार्क विकसित किए जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक का न्यूनतम सहवर्ती और बाधा-मुक्त भूमि क्षेत्र 8 वर्ग किलोमीटर होगा। इस योजना के तहत रासायनिक उद्योग द्वारा आवश्यक साझी अवसंरचना सुविधाओं और बेसिक यूटिलिटीज़ जैसे केंद्रीय अपशिष्ट उपचार संयंत्र, जल आपूर्ति, सॉल्वेंट रिकवरी और डिस्टिलेशन संयंत्र, स्टीम जनरेशन और वितरण प्रणाली, पाइपलाइनों से युक्त वितरण नेटवर्क, सामान्य लॉजिस्टिक सुविधाएं, प्रयोगशाला परीक्षण केंद्र, आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र, तकनीकी सहायता केंद्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

5. वित्तीय सहायता: इस योजना के तहत चयनित तीन रसायन पार्कों को साझी अवसंरचना सुविधाओं और बेसिक यूटिलिटीज़ की परियोजना लागत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति पार्क ₹1,000 करोड़ होगी। यह सहायता इस शर्त के अधीन होगी कि संबंधित राज्य द्वारा न्यूनतम ₹500 करोड़ प्रति पार्क की राशि की व्यवस्था की जाएगी। योजना के तहत प्रदान की गई वित्तीय सहायता के अतिरिक्त रसायन पार्क की स्थापना में होने वाला कोई भी अतिरिक्त व्यय संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

6. कार्यान्वयन प्रणाली:

6.1 भूमि की आवश्यकता: राज्य सरकारें रसायन पार्कों के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने, भूमि का अधिग्रहण और इसे बाधारहित बनाने के लिए जिम्मेदार होंगी और भूमि अधिग्रहण से संबंधित संपूर्ण वित्तीय लागत वहन करेंगी।

6.2 राज्य कार्यान्वयन एजेंसियां: रसायन पार्कों का कार्यान्वयन नामित राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईए) के माध्यम से किया जाएगा, जो परियोजना क्रियान्वयन, संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय और योजना दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होंगी।

7. शासन तंत्र:

7.1 योजना संचालन समिति: इस योजना के अंतर्गत प्रस्तावों को रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग द्वारा गठित योजना संचालन समिति (एसएससी) द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।

एसएससी की संरचना इस प्रकार है:

i. सचिव, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग - अध्यक्ष

ii. वित्तीय सलाहकार, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग - सदस्य

iii. संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय - सदस्य

iv. संयुक्त सचिव, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग – सदस्य

v. संयुक्त सचिव (रसायन), रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग – सदस्य-संयोजक

नोट: संबंधित राज्य को रसायन पार्क आवंटित किए जाने के पश्चात, संबंधित राज्य सरकार के प्रधान सचिव (उद्योग) को सदस्य के तौर पर शामिल किया जाएगा।

7.2 अधिकार प्राप्त समिति: प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) इस योजना की आवधिक समीक्षा करेगी।

अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) की संरचना इस प्रकार है:

i. प्रभारी मंत्री - अध्यक्ष

ii. वित्तीय सलाहकार, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग - सदस्य

iii. सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय - सदस्य

iv. सचिव, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग – सदस्य

v. सचिव, औषध विभाग - सदस्य

vi. सचिव, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग – सदस्य-संयोजक

नोट: संबंधित राज्य को रसायन पार्क आवंटित किए जाने के पश्चात, संबंधित राज्य सरकार के प्रमुख सचिव (उद्योग) को सदस्य के तौर पर शामिल किया जाएगा।

8. परियोजना प्रबंधन इकाई: इस योजना का कार्यान्वयन एक परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) के माध्यम से किया जाएगा, जो रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग को सचिवालय, प्रबंधन, कार्यान्वयन और निगरानी संबंधी सहायता प्रदान करेगी। पीएमयू की विस्तृत भूमिकाएँ और कार्य, योजना दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट की जाएंगी।

9. चयन प्रक्रिया: तीन रसायन पार्कों का चयन चैलेंज रूट के माध्यम से किया जाएगा, जिसके अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों घटकों पर आधारित एक संरचित एवं पारदर्शी मूल्यांकन तंत्र के अनुसार किया जाएगा। मूल्यांकन पूर्वनिर्धारित और मापने योग्य मापदंडों पर आधारित होगा। इसके अलावा, मूल्यांकन में प्रस्तावों के विभिन्न पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाएगा, जिनमें रणनीतिक प्रासंगिकता, समग्र व्यवहार्यता, कार्यान्वयन योजना, वित्तीय सुदृढ़ता, नीतिगत उद्देश्यों के साथ तालमेल और दीर्घकालिक स्थिरता शामिल हैं, जिससे प्रत्येक प्रस्ताव का व्यापक और संतुलित मूल्यांकन सुनिश्चित हो सके।

10. योजना में संशोधन: भव्य रसायन योजना में मामूली संशोधन, जिन्हें मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित व्यापक दायरे और वित्तीय परिव्यय के भीतर इसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझा जाए, प्रभारी मंत्री की स्वीकृति से किए जा सकते हैं।

11. योजना संबंधी दिशानिर्देश: इस योजना के विस्तृत परिचालन संबंधी दिशानिर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

दीपांकर ऐरन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2026

F. No. C-I-43012/8/2026-CHEM. II-CPC.—The Government of India is pleased to announce the **Scheme for Chemicals Parks – Bharat Audyogik Vikas Yojana – Rasayan (BHAVYA Rasayan) Scheme.**

1. Background: The Indian Chemical and Petrochemical sector plays a vital role in the overall development of the economy as it provides requisite raw material and inputs for various downstream sectors such as Automobiles, Textiles, Pharmaceuticals, Construction, Electronics etc. For the growth of the sector, it is important to address challenges related to scale, infrastructure, manufacturing efficiency, and cost competitiveness through coordinated policy support and the creation of shared industrial infrastructure. In this context, the Government of India has approved the Scheme for Chemicals Parks – BHAVYA Rasayan Scheme on 24th July 2026 for the establishment of three dedicated Chemical Parks through the challenge route.

2. Objective: The BHAVYA Rasayan Scheme will enhance domestic production capacities in line with rising domestic and downstream demand, help achieve economies of scale, increase cost competitiveness, promote import substitution, augmentation of exports, attract domestic and foreign investment, and generate employment across the Chemical Value Chain, thereby contributing to the vision of *Viksit Bharat* by 2047.

3. Commencement and Duration of the Scheme: The Scheme will be operational for a period of five years commencing from the financial year 2026-27 up to 2030-31 with an outlay of ₹3,030 Crore.

4. Scope of the Scheme: Under the BHAVYA Rasayan Scheme, three dedicated greenfield chemical parks will be developed, each having a minimum contiguous and encumbrance-free land area of 8 square kilometres. Financial assistance will be provided under the Scheme for the development of common infrastructural facilities and basic utilities required by the chemical industry such as central effluent treatment plant, water supply, solvent recovery and distillation plant, steam generation and distribution system, distribution network comprising pipelines, common logistics facilities, laboratory testing centre, emergency response centre, technical support centre.

5. Financial Assistance: Financial assistance under the Scheme shall be provided to three selected Chemical Parks towards the project cost of Common Infrastructure Facilities and basic utilities, subject to an overall ceiling of ₹1,000 Crore per park. This will be subject to the condition that a minimum amount of ₹500 Crore shall be mobilised by the concerned State. Any additional expenditure incurred towards the establishment of the Chemical Park beyond the financial assistance provided under the Scheme shall be borne by the concerned State Government.

6. Mode of implementation:

6.1 Land Requirement: State Governments shall be responsible for providing the required land for the Chemical Parks including its acquisition and making it encumbrance-free, and shall bear the entire financial cost associated with land acquisition.

6.2 State Implementing Agencies: The Chemical Parks shall be implemented through designated State Implementing Agencies (SIAs), which shall be responsible for project execution, coordination with relevant authorities, and compliance with Scheme guidelines.

7. Governance Mechanism:

7.1 Scheme Steering Committee: The proposals under the scheme will be approved by the Scheme Steering Committee (SSC) constituted by Department of Chemicals and Petrochemicals (DCPC).

The composition of the SSC is as follows:

i. Secretary, DCPC - Chairperson

ii. Financial Adviser, DCPC - Member

iii. Joint Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change - Member

iv. Joint Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade – Member

v. Joint Secretary (Chemical), DCPC – Member-Convenor

Note: Principal Secretary (Industries) of the concerned State Government will be coopted as Member, once the Chemical Park is awarded to the State.

7.2 Empowered Committee: An Empowered Committee (EC) under the chairmanship of the Minister-in-Charge will conduct periodic review of the scheme.

The composition of the EC is as follows:

i. Minister-in-Charge - Chairperson

ii. Financial Adviser, DCPC - Member

iii. Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change - Member

iv. Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade – Member

v. Secretary, Department of Pharmaceutical- Member

vi. Secretary, Department of Chemicals and Petrochemicals – Member-Convenor

Note: Chief Secretary of the concerned State Government will be coopted as Member, once the Chemical Park is awarded to the State.

8. Project Management Unit: The Scheme shall be implemented through a Project Management Unit (PMU), which shall provide secretarial, managerial, implementation and monitoring-related support to the Department of Chemicals and Petrochemicals. The detailed roles and functions of the PMU shall be specified in the Scheme Guidelines.

9. Selection Process: The selection of the three Chemical Parks shall be undertaken through the Challenge Route, wherein the proposals would be evaluated through a structured and transparent assessment framework comprising both quantitative and qualitative components. Evaluation will be based on predefined and measurable parameters. Further, the assessment would also factor various aspects of proposals including strategic relevance, overall viability, implementation plan, financial soundness, alignment with policy objectives, and long-term sustainability, thereby ensuring a comprehensive and balanced appraisal of each proposal.

10. Modifications to the Scheme: Minor modifications to the BHAVYA Rasayan Scheme, as deemed necessary for its implementation within the broad scope and financial outlay approved by the Cabinet, can be made with the approval of the Minister-in-Charge.

11. Scheme Guidelines: The detailed operational guidelines of the Scheme will be issued separately.

DEEPANKAR ARON, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.08.11 15:48:19 +05'30'